प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
7, वाला कदर रोड, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2017

विषय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- सीपी 27/2015/एनजीओ 27/84-2-2015-सीपी 16/2003, दिनांक 01.10.2015 द्वारा 02 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रूपये एक-एक लाख अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस संबंध में प्रश्नगत प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उपभोक्ता कल्याण कोष समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में शासन द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2015 में उल्लिखित स्वैच्छिक संगठनों में से निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठन को द्वितीय किश्त के रूप में उनके सम्मुख अंकित धनराशि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में अनुदान के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र0 सं0 | संस्था का नाम एवं पता तथा पदाधिकारी का नाम | अनुदान दिये जाने का प्रयोजन | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | शिवम जनकल्याण शिक्षा समिति, 624, मलूकपुर बजरिया, बरेली- 243001 अध्यक्ष- श्रीमती पुष्पा पाण्डेय | जनपद बरेली के आंवला तहसील में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु। | रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किश्तों में) |

3. अत: अनुरोध है कि कृपया समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में उपर्युक्त स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये एक लाख शासनादेश संख्या-सीपी 1004/29-8-2004-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के साथ संलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार 15 दिवसों के भीतर अवमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

.....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अनुदान की उक्त धनराशि का दुरूपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों/नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही धनराशि का व्यय/सदुपयोग किया जायेगा।

भवदीय,

जी0पी0 कमल
विशेष सचिव।

संख्या-17/2017/एनजीओ 14(1)/84-2-2017-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, बरेली।
(3) जिला पूर्ति अधिकारी बरेली।
(4) वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

संख्या-17 /2017/एनजीओ 14(2)/84-2-2017-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि श्रीमती पुष्पा पाण्डेय, अध्यक्ष, शिवम जनकल्याण शिक्षा समिति, 624,मलूकपुर बजरिया, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्वीकृत धनराशि में से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो जाने के तीन माह के भीतर शासनादेश संख्या सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर (4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाण सहित शपथ पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।